



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4446/MH/18/2025-RU-I

दिनांक: 29.06.2026

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
महाराष्ट्र सरकार
पहली मंज़िल, मुख्य भवन,
मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र - 400032
ई-मेल: acs.revenue@maharashtra.gov.in

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
गृहनिर्माण विभाग,
महाराष्ट्र सरकार
तीसरी मंज़िल, मुख्य भवन,
मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र - 400032
ई-मेल: acs.housing@maharashtra.gov.in

विषय: मुंबई के गोरगांव (पूर्व) के रहने वाले और 'भ्रष्टाचार विरोधी मंच (अखिल भारतीय)' के चेयरमैन श्री जे.बी. सिंह (सीनियर रिपोर्टर) की ओर से 29.07.2024 को एक शिकायत प्राप्त हुई जोकि श्री राजा कौंडर और दिनेश अशेषकर के खिलाफ है, जिन्होंने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण कार्य का कचरा, मलबा, टूटी-फूटी निर्माण सामग्री आदि को अवैध रूप से डंप करने, लोड करने और अनलोड करने का काम किया है।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 09.04.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री जे. बी. सिंह
परिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष,
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी मंची,
डी-3, एलआर प्लाजा, सुधा हॉस्पिटल, फिल्मसिटी रोड,
गोरगांव (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र
मोबाइल नंबर: 9987498027
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।